संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/समन्वय/ 2012/ भोपाल, दिनांकः /08/2012

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश ।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश ।

विषयः—लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 अन्तर्गत लोक सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में कार्यवाही करने के संबंध में ।

संदर्भः—संचालनालय पत्र कमांक 04/समन्वय/2012/341 दिनांक 23.06.2012, कमांक 413 दिनांक 31.07.2012, एवं कमांक 429 दिनांक 06.08.2012 ।

——0000——

विषयान्तर्गत में संचालनालय के संदर्भित पत्रो का अवलोकन करें जो डाक से आपको भेजे गये है एवं उक्त सभी सदंर्भित पत्र विभाग वेबसाईट **(www.mp.gov.in/health)** पर भी उपलब्ध है ।

लोक सेवा प्रदाय की गांरटी अधिनियम 2012 के कियान्वयन हेतु संचालनालय से जितने भी दिशा / निर्देश परिपत्र का एक सैट निकाल कर आपके व्यक्तिगत उपयोग हेतु अपने पास रखे एवं उनमें दिये गये निर्देशों का सुनिश्चित करे ।

उपरोक्त के संबंध में आपको पुन; अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता के ईमैल (**bnchaun.in@mp.nic.in**) पर एवं डाक स संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश को समस्त जानकारी 03 दिवस में भेजना सुनिश्चित करेगें :-

(1) पदाभिहित /अपीलीय अधिकारी ,उनके सहायक व कार्यालय के कम्प्यूटर की विस्तृत जानकारी ।

(2) पदाभिहित /अपीलीय अधिकारी के सहायक को कम्प्यूटर उपयोग हेतु अच्छे से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है । अतः सहायक हेतु कम्प्यूटर कार्य में प्रशिक्षित उपयुक्त कर्मचारी को ही नामांकित किया जावे

(3) पदाभिहित/अपीलीय अधिकारी को कम्प्यूटर उपयोग की बैसिक ट्रेनिंग होना आवश्यक है । अतः आवश्यक हो तो संबधित अधिकारी कम्प्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग लेवे ।

(4) पदाभिहित /अपीलीय अधिकारी एंव सहायकों को साफटवेयर का प्रशिक्षण लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रथक से (बाद मे)दिया जावेगा ।

(5) पदाभिहित अधिकारी अपीलीय अधिकारी एंव सहायकों के यूजर आई.डी एवं पासवर्ड तैयार कर इसकी जानकारी जिले के लोक सेवा प्रबंधन विभाग को एवं संचालनालय को तत्काल भेजें ।

(6) पदाभिहित अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर हेतु जिला स्तर पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (**NIC**) कार्यालय से सम्पर्क कर रूपये 555/– का नियमानुसार भुगतान कर आवेदन तत्काल देना है । (डिजीटल हस्ताक्षर तैयार कर इसकी जानकारी संचालनालय को तत्काल दी जावे)

(7) सभी पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारी के कार्यालयों मे टेलीफोन एवं ब्राडबेन्ड कनेक्शन 24 X 7 दिवस आवश्यक है । इसके आवश्यकतानुसार एनुअल मेनटेंन्स कान्ट्रेक्ट कराया जा सकता है।

(8) सभी पदाभिहित अधिकारी अपने अपने कार्य क्षेत्र के मेपिंग की जानकारी जिले के लोक सेवा प्रबंधन विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर उसका सत्यापन उपरान्त इसकी जानकारी लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल एवं संचालनालय को तत्काल भिजवायें ।

(9) पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारी का यूजर आई.डी, पासवर्ड एवं भौगोलिक कार्यक्षेत्र का मेंपिग का प्रमाण तत्काल संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश को भेजें ।

उपरोक्त उल्लेखित निर्देशों का कडाई से पालन सुनिशिचित करे एवं की गई कार्यवाही से संचालनालय को समय सीमा मे अवगत करावे ।

(डॉ. बी. एन. चौहान)
संयुक्त संचालक (समन्वय)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक 4/समन्वय/ 2011/454 भोपाल, दिनांक 28/08/2011

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–,

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. संचालक (समन्वय) स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
6. समस्त जिला लोक सेवा प्रबंधक मध्यप्रदेश ।

संयुक्त संचालक (समन्वय)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश